म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी–6/नियमन/नगद भुगतान/2739 भोपाल, दिनांक 27/09/2019

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा।

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
(समस्त)

विषयः–कृषि उपज मण्डी समितियों मे किसानो को नगद भुगतान कराने के संबंध मे।

1/ वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड) अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितम्बर 2019 जो भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 सितम्बर 2019 मे प्रकाशन का अवलोकन करना चाहेंगे। राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

2/ भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना दिनांक 20 सितम्बर 2019 मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि क़ेन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 194ढ के परंतुक के खंड(V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात् कमीशन अभिकर्ता या व्यापारी विनिर्दिष्ट करती है, जो कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के अधीन क्रियाशील है और संबद्ध राज्य के कृषि उपज बाजार से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

3/ भारत सरकार द्वारा मण्डी समितियों मे किसानो को भुगतान करने के लिये क्रेता व्यापारी/अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के लिये वार्षिक 1.00 करोड़ के नगद निकासी पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट मे 2 प्रतिशत के टीडीएस को समाप्त कर दिया गया है। यह सूचना 1 सितम्बर से प्रभावशील हो गई है। परन्तु कतिपय मण्डी के कुछ व्यापारियों द्वारा यह भ्रांति फेलाई जा रही है कि नगद भुगतान की छूट के नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। यह जानकारी सही नही है, छूट 1 सितम्बर से लागू हो चुकी है। यह जानकारी समस्त व्यापारियों को अवगत कराई जाये तथा मण्डी समितियों मे नगद भुगतान की व्यवस्था पूर्वनुसार अधिकतम 2.00 लाख (1,99,999/–) भुगतान को प्रभावी किया जावे।

अपर संचालक (नियमन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल।